न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 24/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/73

1. श्री रमेश पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर राज0।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री भीमशंकर ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
2. श्री भगवतीलाल पिता भीमशंकर ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
3. श्री सुरेशचन्द्र पिता भीमशंकर ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
4. श्रीमती ममताबाई पुत्री भीमशंकर ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
5. श्रीमती रूकमणबाई पत्नी भीमशंकर ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
6. श्रीमती कोयलबाई पत्नी हीरालाल ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
7. श्री गेरीलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
8. श्री चुन्नीलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
9. श्री नरेश पिता मोहनलाल ब्राहम्ण बवियालत संरक्षक माता लालीबाई पत्नी मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
10. श्री मुकेश पिता मोहनलाल ब्राहम्ण बवियालत संरक्षक माता लालीबाई पत्नी मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
11. श्रीमती लालीबाई पत्नी मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
12. श्री प्रकाश पिता भंवरलाल कुम्हार निवासी मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
13. श्री दलीचन्द पिता गुलाब भील निवासी आसना तहसील घासा जिला उदयपुर।
14. श्री पटवारी पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर (राज.)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 05.03.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 3651, 3652 किता 2 कुल रकबा 0.7527 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतंत्र खातेदार की हैसियत से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात के चारों और विपक्षीगण की आराजीयात है। विपक्षी संख्या 1 से लगायत 13 रोज सरहद को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है इसलिये प्रार्थी की स्वामित्व की भूमि की पक्की पत्थरगड़ी की जावे।
2. अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात की चारो दिशाओं में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 13 की कृषि भूमि के मध्य पक्की पुख्ता पत्थरगड़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 13 को इस बात के लिये पाबंद किया जावें की वे मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की कृषि भूमि में कोई दखलन्दाजी नही करें तथा मुझे मेरी भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें।
3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 6, 11, 12, 13 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन करने से इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी 14, 15 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 454 पर दर्ज आराजी नम्बर 3651, 3652 किता 2 कुल रकबा 0.7527 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। नकल जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 13 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत पेश किया गया जिसके तहत प्रार्थी की भूमि का सिमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी होती है। प्रार्थी को अपनी तन्हा खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाने का पूर्ण अधिकार है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।
5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत [illegible] शुल्क [illegible] तहसीलदार घासा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shivr Punadia
Date: 2025.04.22 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested

कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 454 पर दर्ज आराजी नम्बर 3651, 3652 किता 2 कुल रकबा 0.7527 हैक्टेयर भूमि की चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।

6. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
7. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested